न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018/00317 दायरा दिनांक : 26.11.2018

उनवान

अमरलाल आयु 67 साल पुत्र आत्माराम, जाति ब्राहमण, निवासी चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0 .... अपीलांट

बनाम

1– देवीसिंह आत्मज समन्दर सिंह, जाति राजपूत, निवासी सेमली गेहलोत, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0

1/1– चत्तरबाई पत्नी देवीसिंह, जाति राजपूत, निवासी सेमली गेहलोत, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

1/2– रोड़सिंह पुत्र देवीसिंह, जाति राजपूत, निवासी सेमली गेहलोत, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

1/3– शंकरसिंह पुत्र देवीसिंह, जाति राजपूत, निवासी सेमली गेहलोत, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

1/4– मदनसिंह पुत्री देवीसिंह, जाति राजपूत, निवासी सेमली गेहलोत, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

2– शांतिबाई पत्नी बनेसिंह, जाति बंजारा, निवासी आक्या का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

3– गेंदीबाई पत्नी दुर्गालाल, जाति बंजारा, निवासी आक्या का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

4– कमलाबाई पत्नी मोतीलाल, जाति बंजारा, निवासी आक्या का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0 .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बी.एल. माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 07.06.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 27/2013 निर्णय दिनांक 20.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सेमली गेहलोत, तहसील गंगधार में आराजी साबिक खसरा नं. 252 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 263 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 264 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 266 रकबा 3 बिस्वा खातेदार ऊंकारसिंह आत्मज गुलाब सिंह, जाति राजपूत, निवासी सेमली गेहलोत के खाते दर्ज रही है, जिसे खातेदार ऊंकारसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 25.03.1966 को वादी को दान कर कब्जा संभला दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2018 से वादी का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि मातहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है, एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है, जो अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायलय ने बिना अपीलांट को सुने निर्णय किया है जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पत्रावली में जवाब दावा भी पेश नहीं हुआ तथा दोनों पक्षों की साक्ष्य भी नहीं हुई, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है, परवर्स है तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार शिविर पारापीपली में वादी का दावा खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे एवं मातहत न्यायालय को प्रतिवादीगण से जवाब दावा लेकर, तनकी कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर निर्णय किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोंडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का समुचित सुनवाई, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते तनकी में नियत थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सूचना दिये बिना ही लोक अदालत में प्रकरण का निर्णय पारित कर दिया, जबकि प्रकरण को मेरिट पर निर्णित किया जाना चाहिए था। अतः अपील स्वीकार की जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन करने से प्रकट होता है कि ऑर्डर 7 नियम 11 सी पी सी का प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 19.03.2014 को कर दिया गया । तत्पश्चात जवाब दावा प्राप्त होकर पत्रावली तनकीयात व दस्तावेज पेश करने में नियत थी। दिनांक 19.03.2014 के पश्चात् पत्रावली में दिनांक 20.06.2018 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होना लिखते हुए खारिज कर दिया गया।

हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में तनकीयात कायम कर साक्ष्य के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर निर्णय किये जा सकते हैं लेकिन न्यायालय का वाद दायरी के लगभग 6 वर्ष बाद वाद फौरी तौर पर वाद खारिज करना अत्यधिक त्रुटिपूर्ण है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.08.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा